B.Com (HONS)
P2 - A/cs(HONS)
Paper- IV
CORPORATE ACCOUNTING

प्रो० धनंजय कुमार
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर, (मधुबनी)

UNIT — I
SHORT NOTES

(A) EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN → (ESOP)

जब कंपनी अपने संचालकों, प्रबंधकों तथा कर्मचारियों को यह विकल्प देती है कि वह किसी भविष्य तिथि पर कंपनी की अंशों या प्रतिभूतियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर क्रय का अभिदान (Subscription) कर सके तो इसे कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESO) कहा जाता है। कर्मचारियों की योग्यता को सुरक्षित रखने तथा उनमें अपनत्व एवं भागीदारी की भावना को जागृत करने के लिए कंपनियाँ कर्मचारियों को उनकी इच्छानुसार समता अंश क्रय करने के लिए जो योजना बनाती है उसे कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ESOP) कहा जाता है। इस योजना के अन्तर्गत कंपनी प्रस्तावित प्रतिभूतियों को एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर क्रय करने का अधिकार प्रदान करती है। यह पूर्वनिर्धारित मूल्य प्रायः बाजार मूल्य से कम होता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 (1) (b) के अनुसार, → कंपनी अपने कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत अंश प्रस्तावित करने हेतु वार्षिक साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। क्योंकि यह कंपनी की एक स्वैच्छिक योजना होती है। —

ESOP का उद्देश्य निम्नलिखित है —

Scanned with CamSc

(i) स्वास्थ्य व अच्छा योग्यता का होना।

(ii) कुशल व अनुभव वाले कर्मचारियों को उपक्रम में रोकना।

(iii) कर्मचारियों में कंपनी के प्रति विश्वास व अपनत्व की भावना उत्पन्न करना तथा।

(iv) अंशधारी के रूप में कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अवसर प्रदान करना।

(B) ISSUE OF RIGHT SHARES →
(अधिकार अंश का निर्गमन)

भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 62(1) के अनुसार- यदि कोई सार्वजनिक कंपनी अपने समामेलन के दो वर्ष के पश्चात् या प्रथम बार अंश आबंटित करने के एक वर्ष बाद अपनी अंश पूंजी में वृद्धि करने के लिए नए अंशों का निर्गमन करना चाहती है तो सर्वप्रथम उसे वर्तमान अंशधारियों को ही ये अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करना होगा। अतः कंपनी द्वारा निर्गमित उन [redacted] नये अंशों को ही अधिकार अंश (RIGHT SHARES) कहा जाता है।

अधिकार अंश से संबंधित नियम इस प्रकार है—

(i) नये अंश वर्तमान अंशधारियों को उनके पास पहले से उपलब्ध अंशों के अनुपात में प्रस्तावित किये जाने चाहिए।

(ii) वर्तमान अंशधारियों को अंश क्रय करने हेतु लिखित प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। इस संबंध में स्वीकृति हेतु 15 दिन की अवधि प्रदान की जाती है।

(iii) लिखित सूचना में यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि अंशधारी अंश क्रय करना नहीं चाहता है तो वह इन अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। तथा

(iv) वर्तमान [redacted] अंशधारियों द्वारा निर्धारित अवधि तक स्वीकृति नहीं आती है तो, उसे अस्वीकृति माना जाएगा तथा ऐसे अंशों को कंपनी किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकती है।

Scanned with CamScanner

कंपनी द्वारा अधिकार अंशों के निर्गमन से निम्नलिखित लाभ की प्राप्ति होती है —

— (i) सार्वजनिक अंशों के निर्गमन की तुलना में इन अंशों के निर्गमन की लागत कम होना।

— (ii) ऐसे अंश बाजार मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित किये जाते हैं अतः वर्तमान अंशधारियों को मौद्रिक लाभ की प्राप्ति होती है।

— (iii) अधिकार अंश, वर्तमान अंशधारियों को कंपनी पर अपना अधिकार बढ़ाने में सहायक होते हैं।

— (iv) अधिकार अंशों के निर्गमन से पूँजी प्राप्त करना अधिक निश्चित होता है।

— (v) अधिकार अंश के निर्गमन से कंपनी की goodwill में वृद्धि होती है।

— (vi) ऐसे अंश से वर्तमान अंशधारियों को पुनः विनियोग (Investment) करने का अवसर प्राप्त होता है; जिनसे वे पूर्व से ही भली-भांति परिचित होते हैं।

— (vii) अधिकार अंशों के निर्गमन से संचालक नए अंशों को अपने मित्रों, एवं रिश्तेदारों को कम मूल्य पर निर्गमित नहीं कर पाते। —

वर्तमान अंशधारियों को अधिकार अंशों के निर्गमन से जो मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है, उसे अधिकार मूल्य (Value of Right) कहा जाता है। उसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है —

Value of Right = Market Price of the share — Average Price of the share.

Calculation of:

$$\text{Average Price of the share} = \frac{\text{Market Price of the share} + \text{Issue Price of the Right share}}{\text{Existing shares} + \text{Right s...}}$$

Scanned with CamSc

(C.) BUY-BACK OF SHARES :→
(अंशों की वापसी खरीद) जब कंपनी अपने ही अंशों का अधिग्रहण या क्रय स्वयं करती है तो उसे अंशों की वापसी खरीद कहा जाता है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68(1) के अनुसार भारत में कंपनियों को अपने ही अंशों को खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है; इस संबंध में निम्नलिखित शर्तों को पालन करना होता है ——

— (i) वापसी खरीद Articles of Association द्वारा अधिकृत है.

— (ii) साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित कर वापसी खरीद का अधिकार प्राप्त किया है

— (iii) अंशों का क्रय चुकता अंशपूँजी तथा मुक्त संचय के 25% से अधिक न हो.

— (iv) वापसी खरीद के पश्चात् ऋण समता अनुपात 2:1 से अधिक नहीं होना चाहिए

— (v) केवल पूर्ण चुकता अंश ही वापसी खरीद के लिए उपलब्ध है. तथा

— (vi) विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथी से 12 माह के अंदर अंशों की वापसी खरीद हो जाना चाहिए.

अंशो की वापसी खरीद, कंपनी द्वारा निम्न स्रोतों से कर सकती है ——

— (a) सामान्य संचय, संचय कोष एवं लाभ-हानि के क्रेडिट शेष में से.

— (b) Securities Premium A/c से. तथा

— (c) अंशों या प्रतिभूतियों के पूर्व निर्गमन से प्राप्त राशि से. ——

Scanned with CamSc

अंश वापसी खरीद से कंपनी को निम्न-लिखित लाभ की प्राप्ति होती है —

— (i) कंपनी द्वारा लाभांश कर (Tax) को बचाना. क्योंकि यदि संसाधनों का प्रयोग, लाभांश की घोषणा व भुगतान में न होकर अंशों की वापसी खरीद में होता है.

— (ii) अनावश्यक पूँजी से छुटकारा दिलाने के कारण प्रति अंश आय (Earning Per Share) में वृद्धि होना.

— (iii) अवांछनीय व्यक्तियों के द्वारा कंपनी पर कब्जा करने के प्रयासों को असफल करना. तथा

— (iv) कंपनी की पूँजी के पुनर्गठन में सहायक होना

∧ ———

कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जिसमें कोई कंपनी अपने स्वयं के अंशों का क्रय नहीं कर सकती है —

— (i) किसी सहायक कंपनी जिसमें अपनी सहायक कंपनी भी शामिल है, के माध्यम से,

— (ii) किसी निवेशक कंपनी या निवेश कंपनी के समूह के माध्यम से तथा

— (iii) यदि कंपनी निम्न के संबंध में चूक हुई हो —

(a) जमा व उस पर ब्याज के भुगतान में.

(b) लाभांश के भुगतान में.

(c) अंशों या ऋणपत्रों के शोधन में. तथा

(d) किसी वित्तीय संस्था या बैंक का कोई सावधि ऋण या उस पर देय ब्याज.

∧ ———

Scanned with CamSc